

प्रेषक,

सरकार के उप सचिव।

श्रेया नैं,

कुलसचिव,
नीलाम्बर-पीताम्बर विश्वविद्यालय नेविनीगढ़, पलामू।

विषय:-

ज्योति प्रकाश मठिला, बी० एड० कॉलेज, चियांकी नेविनीगढ़, पलामू को बी० एड० कौर्स संचालित करने हेतु शैक्षणिक सत्र 2012-13 से अस्थायी संबंधन के संबंध में।

महाशब्द,

उपर्युक्त विषयक, आपके पत्रांक - NPU/R/727/13 दिनांक 15.06.2013 एवं NCTE, भुवनेश्वर के पत्रांक - ERC/7-141.6.27/NCTE/B.Ed/2012/13796 दिनांक 29.08.12 एवं नीलाम्बर-पीताम्बर विश्वविद्यालय नेविनीगढ़, पलामू के अबुशंसा के आलोक में राज्य सरकार ने ज्योति प्रकाश मठिला, बी० एड० कॉलेज, चियांकी नेविनीगढ़, पलामू को बी० एड० कौर्स संचालित करने हेतु शैक्षणिक सत्र 2012-13 से अस्थायी संबंधन की वित्त दृष्टि स्वीकृति निम्न शर्तों के साथ प्रदान करने की कृपा की है:-

(क) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् पूर्व क्षेत्रीय कमिटी, भुवनेश्वर के द्वारा शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय की प्रस्त्रीकृति दद्द करने अथवा यापस लेने की स्थिति में यह संबंधन स्वतः दद्द समझा जानेगा।

(ख) स्वत्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् पूर्व क्षेत्रीय कमिटी, भुवनेश्वर के जिला आदेश के द्वारा संबंधित संस्था को प्रस्त्रीकृति प्रदान की जायी है, उनमें विहित सभी शर्तों को महाविद्यालय सत्र पूरा करता रहेगा।

(ग) एवं०सी०टी०ई० द्वारा विधारित 200 शिक्षण दिवस, जिसमें 40 दिन शिक्षण अभ्यास भी सम्भवित है, का पालन महाविद्यालय सुनिश्चित करेगा और इसके उपरांत ही विश्वविद्यालय, महाविद्यालय के छात्र-छात्राओं को विश्वविद्यालय की परीक्षा में विमिलित होने की अनुमति देगा।

(घ) छात्रों के नामांकन में एवं०सी०टी०ई०, राज्य सरकार एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नापदण्ड को पूर्णतः पालन किया जाए। विश्वविद्यालय यह भी सुनिश्चित करेगा कि विभागीय संकल्प 1382 दिनांक - 20.05.04 एवं इस संदर्भ में विर्गत अबुर्कर्ती परिपत्रों द्वारा नामांकन संबंधी विधारित प्रक्रिया को महाविद्यालय पूरा करता है तथा नामांकन में आलक्षण विद्यमानों का अक्षरण पालन करता है।

2. इस पाठ्यक्रम के संचालन हेतु NCTE, राज्य सरकार एवं विश्वविद्यालय द्वारा विधारित/लगाये गये शर्तों को संबंधित महाविद्यालय पूर्या जानी करता पाया जाय तो संबंधित विश्वविद्यालय उसकी समीक्षा/जांच कर स्वतः स्पष्ट तथ्यात्मक प्रतिवेदन क्षेत्रीय विदेशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, पूर्वी क्षेत्रीय समिति, भुवनेश्वर एवं विभाग को अबुशंसा सहित उपलब्ध करायेगा।

विश्वविद्यालय

२०५८/०९/०५
सरकार के उप सचिव।



NILAMBER-PITAMBER UNIVERSITY

MEDININAGAR, PALAMU - 822102

अधिसूचना

मानव संसाधन विकास विभाग, झारखण्ड सरकार, रॉची के पत्रांक संख्या - 5/स 1-08 / 2013-1192/उ0शि0 दिनांक 27.07.13 एवं विश्वविद्यालय के पत्रांक NPU/R/727/13 dt. 15.06.13 के आलोक में ज्योति प्रकाश महिला बी0एड0 कॉलेज, चियांकी, मेदिनीनगर, पलामू को B.Ed. पाठ्यक्रम में शैक्षणिक सत्र 2012-13 के लिए अस्थायी संबंधन दीर्घीकरण के प्रस्ताव पर निम्न शर्तों के साथ वित्त रहित स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्रमांक	संकाय	छात्र-छात्राओं के सीटों की संख्या	शैक्षणिक सत्र
1.	बी0एड0	100 सीट	सत्र 2012-13 (अस्थायी संबंधन दीर्घीकरण)

शर्तें -

1. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् पूर्व क्षेत्रीय कमिटि, भुवनेश्वर के द्वारा शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय को प्रस्तीकृति रद्द करने अथवा वापस लेने की स्थिति में यह अस्थायी नवसंबंधन स्वतः रद्द समझा जायेगा।
2. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् पूर्व क्षेत्रीय कमिटि, भुवनेश्वर के जिस आदेश के द्वारा संबंधित संस्था को प्रस्तीकृति प्रदान की गयी है उनमें निहित सभी शर्तों को महाविद्यालय सतत पूरा करता रहेगा।
3. एन०सी०टी०ई० द्वारा निर्धारित 200 शिक्षण दिवस जिसमें 40 दिन शिक्षण अभ्यास भी समिलित है, का पालन महाविद्यालय सुनिश्चित करेगा और इसके उपरांत ही विश्वविद्यालय महाविद्यालय के छात्र-छात्राओं को विश्वविद्यालय में समिलित होने की अनुमति देगा।
4. छात्रों के नामांकन में एन०सी०टी०ई० राज्य सरकार एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मापदण्ड को पूर्णतः पालन किया जाए। महाविद्यालय को विभागीय संकल्प संख्या 1382 दिनांक 20.05.2004 एवं इस संबंध में निर्गत सभी अनुवर्ती परिपत्रों द्वारा नामांकन संबंधी निर्धारित प्रक्रिया को महाविद्यालय पूरा करता है तथा नामांकन में आरक्षण नियमों का अक्षरशः पालन करता है।
5. इस पाठ्यक्रम के संचालन हेतु NCTE, राज्य सरकार एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित/लगाये गये शर्तों को संबंधित महाविद्यालय पूरा नहीं करता पाया जाय तो संबंधित विश्वविद्यालय उसकी समीक्षा/जीवंत कर स्वतः स्पष्ट तथ्यात्मक प्रतिवेदन क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, पूर्वी क्षेत्रीय समिति, भुवनेश्वर एवं विभाग को अनुशंसा सहित उपलब्ध करायेगा।

कुलपति के आदेशानुसारपर

इ0/-

कुलसचिव
नी०पी० विश्वविद्यालय, मेदिनीनगर

Memo No. - NPU/R/...४३५.../13

Date - 27.7.2013

प्रतिलिपि -

1. निदेशक, उच्च शिक्षा, मानव संसाधन विकास विभाग, झारखण्ड सरकार, रॉची
2. परीक्षा नियंत्रक, नीलाम्बर-पीताम्बर विश्वविद्यालय, मेदिनीनगर
3. वित्त पदाधिकारी, नीलाम्बर-पीताम्बर विश्वविद्यालय, मेदिनीनगर
4. प्राचार्य, ज्योति प्रकाश महिला बी0एड0 कॉलेज, चियांकी, मेदिनीनगर, पलामू को सूचनार्थ प्रेषित।

27.7.2013

कुलसचिव
नीलाम्बर-पीताम्बर विश्वविद्यालय
मेदिनीनगर, पलामू



नीलाम्बर-पीताम्बर विश्वविद्यालय

मेदिनीनगर, पलामू - 822102

अधिसूचना

दिनांक 27.07.2013 को संपन्न विश्वविद्यालय के संबद्धता एवं नवपाठ्यक्रम समिति के प्रस्ताव एवं दिनांक 27.07.2013 को संपन्न अभिषद (Syndicate) की बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में एवं अधिषद (Senate) के अनुमोदन की प्रत्याशा में झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 2000, यथा अद्यतन संशोधित की धारा 10 की उपधारा 12 का प्रयोग करते हुए ज्योति प्रकाश महिला बी0एड0 कॉलेज, चियांकी, मेदिनीनगर को 100 सीटों के साथ N.C.T.E. की शर्तों के साथ शैक्षणिक सत्र 2013-14 के लिए अस्थायी संबंधन दीर्घीकरण राज्य सरकार के पत्रांक 5/स1-03/2010-1177 दिनांक 25.07.2013 के आलोक में सरकार से घटनोत्तर स्वीकृति की प्रत्याशा में बशर्ते 2013-14 का सत्र प्रारंभ नहीं हुआ हो निम्न शर्तों के साथ अस्थायी संबद्धता प्रदान किया जाता है। -

1. HRD Letter No. 1382, 1588, 1386 & 1771 एवं अन्य सभी विभागीय बी0एड0 कोर्स के संबंधित अधिसूचित पत्रांक एवं माननीय न्यायालय के आदेश तथा विश्वविद्यालय के नियम परिनियम का अनुपालन अनिवार्य है।
2. निरीक्षण दल के द्वारा लगाये गए शर्तों का अनुपालन अनिवार्य है।

विश्वासभाजन

ह/-

कुलसचिव

नीलाम्बर-पीताम्बर विश्वविद्यालय
मेदिनीनगर, पलामू

Memo No. – NPU/R/...४३९/13

Date – २७.७.२०१३

प्रतिलिपि –

1. निदेशक, उच्च शिक्षा, मानव संसाधन विकास विभाग, झारखण्ड सरकार, रॉची को घटनोत्तर स्वीकृति हेतु प्रेषित।
2. परीक्षा संचालक, नी0पी0 विश्वविद्यालय, मेदिनीनगर।
3. जन सूचना पदाधिकारी, नी0पी0 विश्वविद्यालय, मेदिनीनगर।
4. प्राचार्य, ज्योति प्रकाश महिला बी0एड0 कॉलेज, चियांकी, मेदिनीनगर।

27.7.2013
कुलसचिव
नीलाम्बर-पीताम्बर विश्वविद्यालय
मेदिनीनगर, पलामू

Anuprash